3. The issue that was required to be adjudicated by the Hon'ble Supreme Court was whether all the private respondents, against whom an order of recovery (of the excess amount) has been made, should be exempted in law, from the reimbursement of the same to the employer. The Hon'ble Supreme Court while observing that it is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement has summarized the following few situations, wherein recoveries by the employees would be impermissible in law :

(i) Recovery from employees belonging to Grade Pay upto Rs 2800/-.
(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

4. As mentioned in para 3(iii) of FD Circular dated 22.07.2014 the cases of extreme hardships as summarised in para 3 for waiving of recovery of wrongful/excess payments made to Government Servants/Pensioners may be examined by Administrative Department. Thereafter, concurrence of FD (G&T) be taken.

(Naveen Mahajan)
Secretary, Finance (Budget)

Copy forwarded to the following for information and necessary action :
1. Principal Secretary to Hon'ble Governor, Rajasthan
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Hon'ble Ministers / State Ministers / Sansadiya Sachiv, Rajasthan

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग (नियम प्रभाग)

क्रमांक: F.9(109)FD/Rules/2005 जयपुर, दिनांक: 02 जून 2026

परिपत्र

विषय: राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों की, प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में।

वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01.09.2025 में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। अतः यदि ऐसे कर्मचारी प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त होते हैं, तो उनके पूर्व पद पर **प्राप्त अंतिम वेतन को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत संरक्षित (Pay Protection) नहीं किया जा सकता।**

इन स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, वित्त विभाग को अभी भी ऐसे संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं जिनमें राज्य के सार्बजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं आदि में प्राप्त अंतिम वेतन के संरक्षण की मांग की जा रही है। इसका आधार यह बताता जाता है कि कुछ मामलों में प्रशासनिक विभागों ने उच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करते हुए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अंतिम वेतन का संरक्षण प्रदान कर दिया है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे न्यायिक निर्णयों की पहले पूर्व-विवाद (Pre-Litigation) समिति द्वारा जांच की जानी आवश्यक है तथा उसके बाद अपील दायर करने अथवा निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे उच्च न्यायालय/अपीलीय अधिकरण के निर्णयों को लागू करने अथवा उनके विरुद्ध अपील दायर करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें।

उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को, उनके पूर्व संस्थान में प्राप्त अंतिम वेतन का संरक्षण (Pay Protection) राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा।

(वैभव गलरिया)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

सरल भाषा में सारांश

यदि कोई व्यक्ति पहले किसी PSU, स्वायत्तशासी संस्था, नगर निकाय या पंचायती राज संस्था में नौकरी कर रहा था और बाद में प्रत्यक्ष भर्ती (Direct Recruitment) से राजस्थान सरकार की सेवा में चयनित होता है, तो:

- उसकी पुरानी नौकरी का वेतन सरकारी नौकरी में सुरक्षित (Pay Protection) नहीं रहेगा।
- नई सरकारी नौकरी में वेतन का निर्धारण नए पद के नियमों के अनुसार होगा।
- कुछ पुराने न्यायालयी आदेशों के आधार पर बिना वित्त विभाग की अनुमति के वेतन संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

अर्थात: PSU/स्वायत्तशासी संस्था से सरकारी सेवा में सीधे चयन होने पर पुराना वेतन जोड़कर लाभ नहीं मिलेगा; नई नियुक्ति का वेतन नए पद के अनुसार ही मिलेगा।

Anil Kumar Verma
11 HOURS AGO

संगठन–शक्ति–संघर्ष–विजय (पंजीकृत एवं राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त) पंजीयन 5/80–81

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

[अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) से संबद्ध]
कार्यालय :- 1016, रानीसती नगर जयपुर, फोन नं. 9928995582, 7737794681

विपिन प्रकाश शर्मा	शशिभूषण शर्मा	शिव शंकर ओझा	दीपक ठक्कर	महेन्द्र पाण्डे
प्रदेशाध्यक्ष	समाध्यक्ष	प्रदेश संगठन मंत्री	महामंत्री	मुख्य महामंत्री
9928995582	8118867424	9929055557	7728910680	9928370327

क्रमांक: राज. प्राथ. एवं माध्य. शिक्षक संघ/प्रदेश/ ज्ञापन दिनांक : 04-06-2026

श्रीमान निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

विषय - प्राध्यापक सीधी भर्ती से चयनित अध्यापकों की पे प्रोटक्शन स्पष्टीकरण बाबत।
सन्दर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र No. F.9(109)FD/Rules/2005 Jaipur, dated 2 JUN 2026
महोदय जी

सविनय निवेदन है कि वित्त विभाग द्वारा संदर्भित परिपत्र जारी कर स्पष्ट कि गया है कि "the employees of State PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc. are not Government servants. Therefore, if such employees are appointed in Government service through direct recruitment, the last pay drawn by them in their previous post is not admissible for protection under Rules 24 and 26 of Rajasthan Service Rules, 1951"

हाल ही शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती 2024 से प्राध्यापक पदों पर ऐसे अध्यापक चयनित हुए हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति/ जिला परिषद द्वारा विद्यालयों में की गई थी। इनका पैत्रक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग है।

इनके वेतन से जीपीएफ, एसआई कटौती हो रही है तथा राजस्थान शिक्षा विभाग के पदोन्नति नियमों के तहत इन्हें चयनित वेतनमान/ एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत हो रहे हैं एवं इन्हें सेवानिवृत्ति पर राज्य कार्मिकों के समान पेंशन स्वीकृत हो रही है। इनकी वरिष्ठता प्रारंभिक शिक्षा में बनती है। प्रमोशन शिक्षा विभाग में होते हैं।

ऐसे शिक्षक Panchayati Raj Institutions के नहीं राज्य सरकार शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं।

अब सीधी भर्ती से प्राध्यापक चयनित होने पर इनको वित्त विभाग के 2 जून 2026 के परिपत्र से अपनी पे प्रोटेक्ट नहीं होने की शंका होने लगी है। संगठन का मानना है कि पे प्रोटेक्शन में रुकावट नहीं नहीं है।

संगठन का आग्रह है कि उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी करवाया जाना समीचीन रहेगा ताकि मेहनत से सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित होने वाले प्राध्यापक प्रसन्नता से जोइन करें।

भवनिष्ठ

सादर

(महेन्द्र पाण्डे)
मुख्य महामन्त्री

(दीपक ठक्कर)
प्रदेश महामन्त्री

विपिन प्रकाश शर्मा
(विपिन प्रकाश शर्मा)
प्रदेश अध्यक्ष

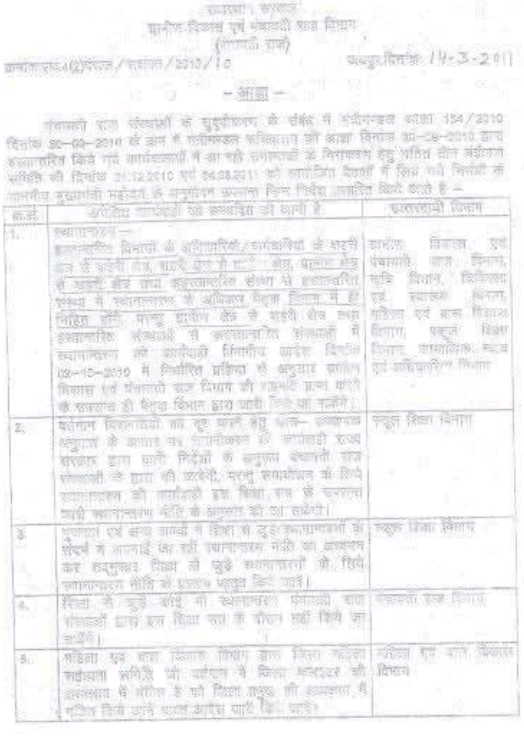

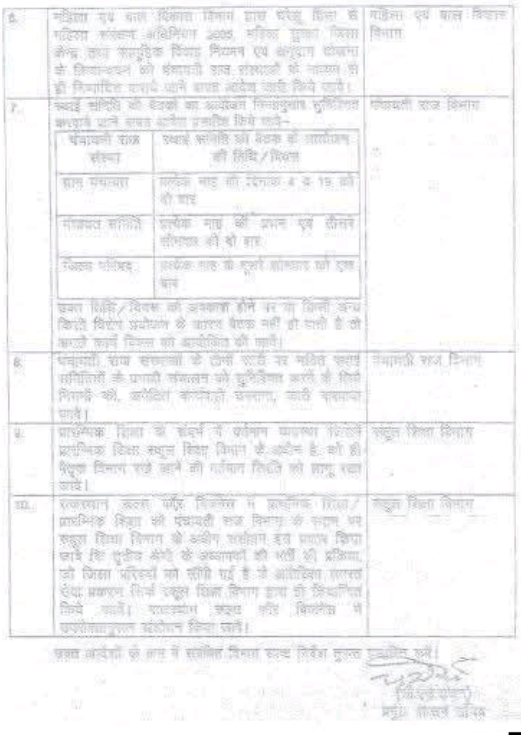

राजस्थान सरकार
ग्रानीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
क्रमांक:एफ.4 (2)पंराज / सशक्त/ 2010/10 जयपुर, दिनांक: 14-3-2011
आज्ञा के बिन्दु 9-10 में पूर्व की भांति प्रारम्भिक शिक्षा को ही पैत्रक विभाग तथा भर्ती के बाद समस्त कार्य शिक्षा विभाग के अधीन रखे गए है।

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा किशनगढ़बास खैरथल–तिजारा

क्रमांकः– 1976 दिनांकः– 05/06/2026

–:आक्षेप पत्रः–

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक 1877 दिनांक 26.05.2026 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिविरा / माध्यमिक / पेंशन–स्थिरीकरण / विविध / निर्देश / 2026 दिनांक 22–05–2026 एवं विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (नियम अनुभाग) का परिपत्र क्रमांक प.9 (14) वित्त / नियम / 2005 पार्ट जयपुर, दिनांक 05.05.2026 की अनुपालना में गठित जांच दल द्वारा आज दिनांक 5/6/26 को कार्मिक अखिलेश कुमार
113 पदस्थापन रा.उ.मा.वि. [illegible]र की सेवा पुस्तिका मय व्यक्तिगत पंजिका की जांच की गई। जिस पर जांच दल द्वारा निम्न आक्षेप लगाए गए–

1. नियुक्ति तिथि संबधित
2. स्थाईकरण दिनांक संबधित
3. ✓ प्रोबेशन काल में लिए गए अवकाश संबधित
4. ✓ प्रोबेशन काल में लिए गए पे प्रोटेक्शन संबधित
5. प्रथम नियुक्ति उपरांत पदोन्नति संबधित
6. ACP/MACP संबधित
7. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम विकल्प तिथि एवं वेतनमान संबधित
8. वार्षिक वेतन वृद्धि संबधित
9. ✓ अन्य

→ अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति के, नियुक्ति अधिकारी के आदेशों का अभाव।

→ तृतीय श्रेणी अध्यापक, पंचायती राज के कर्मचारी होने के कारण Pay-Protection का लाभ नहीं ले सकते हैं अतः दिनांक 01/07/2015 से आज दिनांक तक अधिक भुगतान की नियमानुसार वसूली करें।

टिप्पणी – उक्त आक्षेप के आलोक में कार्मिक की सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जाना समीचीन नहीं है।

अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर इस कार्यालय को अतिशीघ्र सूचित करें

हस्ताक्षर (अध्यक्ष) हस्ताक्षर (लेखा सदस्य) हस्ताक्षर (सदस्य सचिव) हस्ताक्षर (सदस्य)

Government of Rajasthan
Finance Department
(Rules Division)

No. F9(109)FD/Rules/2025
F.9(109)FD/Rules/2025 — Jaipur, dated: 01 SEP 2025

Circular

Subject:- Regarding fixation of pay of employees of State PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc. appointed in Government Service through direct recruitment.

It has come to notice of the Government that against advertisement for various services in the State Government for direct recruitment, the employees of State PSUs Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc. apply for recruitment. In case they are selected for appointment in the service of the State Government after appointment they claim for protection of pay last drawn and for counting of service rendered in the State PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc.

The protection of pay on new appointment is permissible under rule 24 and 26 of RSR only to Government Servants who were already in service of the Government after regular selection as per the provisions of the relevant service rules. These provisions are not applicable to the employees of State PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc. i.e. other than Government Servants.

Under the Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971 also the "Government Servant" means any person appointed by the Government to any civil service or post in connection with the affairs of the State.

It is pointed out that the expression "the Rajasthan Government Servant" means all persons whose conditions of service are regulated by the rules promulgated under the proviso to article 309 of the Constitution and their salary is charged to consolidated fund of the State.

Similar is the provision in the case of reverse position i.e. State Government Employees are appointed in State PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc. In this regard the relevant provision as contained in Section (I) of Appendix-IX of RCS (Pension) Rules, 1996, the relevant provision is reproduced below:-

Pay Fixation:- A Government Servant selected for a post in State PSUs Autonomous Bodies will be free to negotiate his emoluments with the

111D:\APRATIMA\Jain ji\A-4.docx (9)

enterprise/body. On appointment to a post in a Public Sector enterprise/ autonomous body on immediate absorption basis, a Government servant will be at par with other employees of the enterprise/body and will be governed by the rules of the enterprise/body in all respects.

In view of the above provisions for appointment in Government Service no protection of pay shall be granted to the pay last drawn in the State PSUs/ Autonomous Bodies/Local Bodies/Panchayati Raj Institutions etc.

(Naveen Jain)
Secretary, Finance (Budget)

(RSR-22/2025)

9:15

y Protection Clari...

प्रशासनिक विभाग की पत्रावली संख्या प.2(17)/वित्त/राजस्व/08 के अनुच्छेद 447–454/एन का परीक्षण वित्त (नियम) विभाग की पत्रावली संख्या F.15(88)FD/Rules/2017 Pt.-II पर किया गया। प्रशासनिक विभाग को निम्नानुसार अवगत कराया जाता है:–

1. पंचायती राज विभाग के अधीन की गई सेवाएं राजकीय सेवाएं नहीं मानी जाती हैं। पंचायती राज विभाग के कार्मिक का सीधी भर्ती से चयन राजकीय विभाग में होने पर उसके वेतन का संरक्षण (पे–प्रोटेक्शन) नहीं किया जाता है।
2. श्री योगेश चन्द्र वशिष्ठ एवं श्री रमेश कुमार मेघवाल द्वारा पंचायती राज विभाग के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर की गई सेवाएं 9 वर्षीय एसीपी हेतु गणनीय नहीं हैं। इन्हें कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से 9 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार एसीपी/एमएसीपी देय होगी।
3. श्री वशिष्ठ को पूर्व में पंचायती राज विभाग के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर की गई सेवाओं को सम्मिलित कर स्वीकृत की गई 9 वर्षीय एसीपी को प्रत्याहरित करते हुए नियमानुसार वसूली करावें। साथ ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने पर यदि पूर्व पद (तृतीय श्रेणी अध्यापक) का वेतन संरक्षित किया गया है, तो उसे भी प्रत्याहरित कर नियमानुसार वसूली करावें।

यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

31/1/25

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I,
वित्त (नियम) विभाग

31-1-25

शासन सचिव,
वित्त (राजस्व) विभाग

31/1
(कुमार पाल गौतम)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

JS FR1

AAO (5)

5/2

प्रस्तुत एकल पत्रावली के परीक्षणोपरान्त वित्त (नियम) विभाग के अभिमत की प्रति सलंग्न कर तदनुसार कार्यवाही हेतु एकल पत्रावली लौटाई जाती है।

5/2
(नीलेश शर्मा)
JSFD(Rev.)

DTA